

सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी करने वाले को गुरुग्राम से पकड़ा

आरोपी ने बेरोजगार युवकों को सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी की थी

जयपुर/निवाड़ी। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने बड़ी कारवाई कर बेरोजगार युवकों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर फर्जी जॉइनिंग लेटर थमा लाखों रुपए की ठगी करने वाले शांतिर उग दीपक कुमार मीणा पुत्र लल्लू राम (34) निवासी गढवास कोहरा मलावली थाना लक्ष्मणगढ़ (जिला अलवर) को गुरुग्राम से डिटेन कर लिया, जिसे बाद में अग्रिम कारवाई के लिए टोक जिले की बरौनी पुलिस को सौंपा गया। आरोपी पर टोक एसपी द्वारा 25 हजार का इनाम घोषित है।

अतिरिक्त महानिदेशक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दिनेश एमएन ने बताया कि प्रदेश में सक्रिय गैंगस्टर हार्डकोर बदमाशों एवं लंबे समय से फरार चल रहे इनामी अपराधियों की धरपकड़ एवं आसूचना संकलन के लिए उप महानिरीक्षक पुलिस योगेश यादव एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धांत शर्मा के सुपरविजन में एंटीटीएफ की टीमों को प्रदेश के अलग-अलग शहरों में भेजा गया है। इसी क्रम में पुलिस उपनिरीक्षक सुभाष सिंह लखर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा 25 हजार के इनामी दीपक मीणा को गुरुग्राम से डिटेन किया गया।

साल 2021 में परिवारी देवी शंकर की और विजय सिंह की निवासी मुख्तार नगर थाना बरौनी



बरौनी पुलिस थाने में गिरफ्तार ठगी का आरोपी दीपक कुमार मीणा।

टोक ने एक रिपोर्ट थाना बरौनी पर दर्ज कराई कि दीपक कुमार मीणा, मगराज की व हंसराज की ने एफसीआई एवं भारतीय डाक विभाग में भर्ती करने के नाम पर फर्जी जॉइनिंग लेटर देकर 10 लाख 70 हजार रुपये अपने खाते में जमा करवा

ठीकी की है। रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर बरौनी पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी मगराज व हंसराज निवासी मुख्तार नगर को गिरफ्तार कर लिया था। मुख्तार दीपक मीणा प्रकरण दर्ज होने के बाद से ही फरार हो गया। प्रकरण दर्ज होने के बाद ही

■ आरोपी ने फर्जी जॉइनिंग लेटर देकर दो जनों से 10.70 लाख की ठगी की थी

मुख्य अभियुक्त दीपक मीणा अपने निवास स्थान से फरार हो गया। फरारी के दौरान भी बेरोजगार युवकों से अपनी टीम के माध्यम से ठगी का कार्य कर रहा था। मुख्तार दीपक बहुत ही शांतिर किस्म का है। वह ना तो अपने पास मोबाइल रखता है और ना ही किसी सोशल मीडिया का प्रयोग करता है। आरोपी अपने साथी सदस्य के मोबाइल से ही सोशल मीडिया एप काम में लेता है। किसी भी टीम मेंबर को अपने साथ 10 से 15 दिन से ज्यादा नहीं रखता है। गांव से भागने के बाद मुख्तार दीपक गुडगांव, दिल्ली, पटना, कानपुर व अन्य शहरों में टीम के सदस्यों के साथ रहने लगा।

दीपक मीणा शांतिर किस्म का बदमाश है, मुख्तार पिछले दो साल से अपने गांव भी नहीं आ रहा था। जिसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी टोक द्वारा 25 हजार का इनाम घोषित किया गया। एंटीटीएफ टीम द्वारा इसकी गुडगांव, दिल्ली, कानपुर व पटना में तलाश की गई। तलाश के दौरान एंटीटीएफ टीम के हैड कांस्टेबल

कमल डगर और हैड कांस्टेबल सुरेश कुमार को मुख्तार से सूचना मिली कि दीपक मीणा आज पालम विहार गुरुग्राम में किसी से मिलने आ रहा है। सूचना पर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर टीम के सदस्य कमल डगर, सुरेश कुमार व चालक श्रवण कुमार गुरुग्राम पहुंचे, जहां पर दीपक मीणा अपने टीम के किसी सदस्य से मिलने आया हुआ था, जिसे डिटेन किया जाकर पुलिस थाना बरौनी को सुपुर्द किया गया।

बेरोजगार लोगों से ठगी करने के लिए इस गिरोह ने विभिन्न शहरों में नेटवर्क फैला रखा है। गिरोह के सदस्य जयपुर, दिल्ली, गुडगांव, पटना, कानपुर व अन्य शहरों में रहकर वहां पर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बेरोजगार व कमजोर वर्ग के छात्रों को बहला फुसलाकर सरकारी जॉब दिलाने के बहाने से राजी कर रुपये प्राप्त कर उन्हें फर्जी जॉइनिंग लेटर देते हैं। नौकरी ज्वान करने संबंधित विभाग के पास पहुंचने पर पीडित को ठगी का एहसास होता है। बरौनी थानाधिकारी मानवेंद्रसिंह ने बताया कि आरोपी तीन साल से फरार था तथा पुलिस ने 25 हजार का इनाम रखा था। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी के दो साथी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने आरोपी मीणा को गुरुग्राम हरियाणा से गिरफ्तार किया है।

भाबरु थाना पुलिस को लूट की झूठी सूचना देना महंगा पड़ा

पुलिस ने पिकअप चालक व उसके साथी को नकदी सहित गिरफ्तार किया



लूट की झूठी सूचना देने के मामले में दो जनों को गिरफ्तार किया।

पावटा, (निर्स)। लूट की झूठी सूचना देना एक पिकअप चालक को महंगा पड़ गया। भाबरु थाना पुलिस ने चालक को गिरफ्तार करते हुए 10 लाख 52 हजार रुपये उसके पास से बरामद कर लिये।

जानकारी देते हुए कोटपतली-बहरोड जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुर्व्यंत ने बताया कि भाबरु थाना पुलिस को फोन के जरिए सूचना मिली कि एक पिकअप गाड़ी चतरपुरा स्थाम मंदिर के पास लावारिश हालात में खड़ी है। जिसका ड्राइवर साइड का शीशा टूटा हुआ है। जिस पर भाबरु थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को सुरक्षाधारी भाबरु थाना परिसर में खड़ा करवाया।

■ पिकअप चालक के कब्जे से 10.52 लाख रुपये बरामद किये

इसके बाद जानकारी जुटाने पर पिकअप चालक नेमीचंद व उसके साथी कानाराम ने अपने साथ अज्ञात बदमाशों द्वारा गाड़ी आडी लगाकर 10 लाख 52 हजार रुपये की धनराशि व मोबाइल लूट कर ले जाना बताया। उसके बाद पिकअप गाड़ी मालिक विजय सेनी ने अपने पिकअप चालक व उसके साथी के खिलाफ लूट की झूठी

घटना की सूचना देकर धनराशि हड़पने का मामला पंजीबद्ध करवाया, जिस पर त्वरित व निष्पक्ष कार्रवाई हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपतली नेम सिंह के निर्देशन व वृत्ताधिकारी वृत्त विरानगर रोहित सांखला के सुपरविजन में भाबरु थाना प्रभारी रविंद्र कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस द्वारा गहनता से अनुसंधान करते हुए मुख्तार पिकअप चालक नेमीचंद पुत्र लख्मणाराम निवासी सेपटपुरा व कानाराम पुत्र बाबूलाल निवासी बरवाड़ा को गिरफ्तार कर मालिक हड़प की गई राशि बरामद कर मुख्तार को न्यायालय में पेश कर सब जेल कोटपतली भिजवाया गया।

हादसों में दो जनों की मौत

निवाड़ी, (निर्स)। बरौनी थानान्तर्गत गांव कीरों की ढाणी चिरोज के पास एक कार चालक ने एक बाइक के टक्कर मार दी जिससे बाइक सवार घायल हो गया। बरौनी थानाधिकारी मानवेंद्रसिंह ने बताया कि मंगलवार की शाम करीब सात बजे सूरजमल वर्मा पुत्र गजानंद वर्मा निवासी चिरोज अपने खेत से कार्य करके मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर आ रहा था। इसी दौरान कीरों की ढाणी के पास पीछे से आ रही कार के चालक ने तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर उसकी बाइक के टक्कर मार दी जिससे वह घायल हो गया। घायल को 108 एंबुलेंस से सहायता अस्पताल टोक में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान बुधवार को उसने दम तोड़ दिया। वहीं बरौनी थाना क्षेत्र के सिरिस रेलवे स्टेशन और नला गांव के बीच स्थित पोल संख्या 52/17 के सामने ट्रेन आगे आकर युवक धनराज बैरवा पुत्र मनोहर लाल बैरवा निवासी थाना बरौनी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

अनुसंधान में पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित नहीं, छेड़छाड़ का आरोपी दोषमुक्त

जालोर, (कास)। पॉक्सो न्यायालय जालोर के विशिष्ट न्यायाधीश भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने बुधवार को एक नानालिग के साथ छेड़छाड़ करने अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोपी को अनुसंधान अधिकारी द्वारा पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित नहीं करने से दोष मुक्त किया गया। वहीं न्यायाधीश ने एक पीडिता को अनुसंधान अधिकारी अजीतपालसिंह की लापरवाही के चलते न्याय नहीं मिलने से आईजी जयपुर को निर्देशित किया कि अनुसंधान अधिकारी को साईबर अपराध की जानकारी दी जाये।

प्रकरण के अनुसार पीडिता की माता ने 2 मई 2024 को रामसीन पुलिस थाना में रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी पुत्री की इंस्टाग्राम आईडी पर बार बार मैसेज आने पर उसकी पुत्री ने

■ न्यायाधीश ने अनुसंधान अधिकारी को साईबर जानकारी कराने को लेकर आईजी को निर्देश दिये

उसे लड़की समझकर मित्रता कर इंस्टाग्राम पर मैसेज के जरिये बातें करने लगी। करीब तीन माह पूर्व उसकी पुत्री किराणा का सामान लेने गई हुई थी उस दौरान तीन व्यक्ति मुंह पर नकाब पहनकर तीन मोटरसाइकिल लेकर आये तथा उसकी पुत्री को कोई सुंधाकर अपहरण कर सुनसान जगह लेकर गये। वहां उसे डरा-धमका कर उसके अश्लील व आपत्तजनक वीडियो

बनाये। इसके बाद अश्लील वीडियो वायरल इंस्टाग्राम व यूट्यूब पर वायरल करने की धमकियां देकर छेड़छाड़ करने लगे। अभियुक्त ने उसकी लड़की के अश्लील वीडियो अन्य लोगों को आईडी पर वायरल कर उसे बदनाम कर दिया। वहीं अभियुक्त और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा है। साथ ही अश्लील फोटो व वीडियो डिलीट करने के एवज में पच्चीस हजार रुपये भी मांग रहा है। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बाद अनुसंधान आरोप न्यायालय में प्रस्तुत किया।

पॉक्सो न्यायालय जालोर के न्यायाधीश भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने अनुसंधान अधिकारी अजितपालसिंह द्वारा इंस्टाग्राम आईडी के बारे में

अनुसंधान नहीं करने से अश्लील वीडियो की बात अभियोजन पक्ष न्यायालय के समक्ष नहीं रख सका। जिसका लाभ अभियुक्त को मिलने पर अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया। वहीं अनुसंधान अधिकारी द्वारा सही अनुसंधान नहीं कर पर्याप्त साक्ष्य प्रभावली में नहीं रखने से अभियुक्त को लाभ मिला। इसके लिए न्यायाधीश ने पुलिस महानिदेशक जयपुर को निर्णय की प्रति इस निर्देश के साथ भेजी कि अनुसंधान अधिकारी अजितपालसिंह को साईबर अपराधों से संबंधित प्रकरणों के अनुसंधान के लिए राजस्थान पुलिस एकेडमी या अन्य किसी संस्थान में भिजवाया जाये। ताकि वह यह समझ पाये कि साईबर अपराधों के संबंध में किस प्रकार से प्रभावी अनुसंधान किया जाता है।

500 किलो संदिग्ध मावा जप्त किया

भीलवाड़ा, (निर्स)। "शुद्ध आहार मिलावट पर बार" अभियान के तहत भीलवाड़ा खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए 500

■ मावे का सैंपल लेते हुए जांच के लिए अजमेर भिजवाया

किलो संदिग्ध मावा जप्त किया है। सोमपंचओ डॉ. सीपी गोस्वामी ने बताया कि खाद्य निरीक्षक टीम द्वारा शहर में स्थित रामा स्वीट्स पर आकस्मिक जांच की गई जिसमें मौके पर बड़ी मात्रा में संदिग्ध मावा मिला। मावे का सैंपल लेते हुए जांच के लिए अजमेर भिजवाया गया है वहीं टीम ने मावा जप्त कर अटिाम कार्यवाही को अंजाम दिया। शहर के दीपावली पर्व को लेकर नकली और



भीलवाड़ा में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने संदिग्ध मावा जप्त किया।

मिलावटी मावे की खपत बढ़ने की शिकायतें लगातार सामने आने के बाद

स्वास्थ्य विभाग ने अभियान की शुरुआत की है। 500 किलो मावा जप्ती की

कार्यवाही के बाद मिलावटखोर मिठाई व्यवसायियों में दहशत का माहौल है।

कोचिंग के वांशरूम में सफाईकर्मियों ने कैमरा लगाया

कोटा, (निर्स)। शहर के कैथुनीपोल थाना इलाके के एक कोचिंग संस्थान के टॉयलेट में छिपाकर मोबाइल कैमरे से लड़कियों के वीडियो रिकॉर्ड करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने कई गर्लस के वीडियो भी इस दौरान रिकॉर्ड कर लिए। मंगलवार को इस मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद कोचिंग संस्थान ने पुलिस को सूचना दी। कोटा सिटी एसपी डॉ. अमृता दुहन का कहना है कि आरोपी कोचिंग संस्थान में सफाईकर्मियों हैं। इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उसके मोबाइल में कुछ वीडियो

भी मिले हैं। पुलिस उप अधीक्षक तृतीय राजेश कुमार टेलर का कहना है कि आरोपी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। आरोपी मोबाइल को कब से वांशरूम में जाकर रख रहा था यह भी जांच का विषय है। प्रारंभिक तौर पर यह सामने आया है कि वह दो-तीन दिन से मोबाइल वांशरूम में रख रहा था। इस संबंध में फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी जिससे साफ होगा कि मोबाइल में रिकॉर्डिंग कब से की जा रही थी। कोई वीडियो वायरल हुआ है या नहीं। इस पर डीएसपी टेलर का कहना है कि फिलहाल ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। उसके मोबाइल में कुछ वीडियो जरूर मिले हैं। पूरे मामले की जांच की जा रही है।

जांच कमेटी ने रिश्वतकांड मामले में डॉ. महेश बैरवा को राहत देने की कोशिश की

शिकायतकर्ता का आरोप है कि विभाग ने दोनों घूसखोर डॉक्टरों को बचाने के लिए भरसक प्रयास किए

भीलवाड़ा, (निर्स)। जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में गत दिनों डॉक्टर महेश बैरवा और डॉक्टर दिनेश बैरवा के द्वारा चलाए जा रहे इलाज के नाम पर अवैध वसूली और रिश्वतखोरी के रिकेट का खुलासा होने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। शिकायतकर्ता यश कुमार सिंधी का आरोप है कि विभाग ने दोनों घूसखोर डॉक्टरों को बचाने के लिए भरसक प्रयास किए और इसी का नतीजा है कि जांच कमेटी में शामिल डॉ. दिनेश बैरवा, डॉ. वीरेंद्र शर्मा और अन्य डॉक्टरों की टीम ने रिश्वत कांड को अंजाम देने वाले मुख्य डॉक्टर महेश बैरवा को मेडिकल परिस्थितियों का हवाला देते हुए सही ठहराते हुए राहत देने की कोशिश की है। हालांकि पीडित

शिकायतकर्ता यश कुमार सिंधी ने जांच कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए थे, उसके बावजूद मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल ने कमेटी की रिपोर्ट को सही मानते हुए अपने डॉक्टर महेश बैरवा को बचाने के लिए सही गलत का फर्क किए बिना ही सारे आरोपों को झुलटा दिया। जानकारी के अनुसार गत दिनों मांडलगढ़ निवासी शिकायतकर्ता यश कुमार सिंधी ने अपने पिता मुरलीधर सिंधी के घर के ऑपरेशन के नाम पर 28 हजार रुपए की मांग करने की शिकायत डॉक्टर महेश बैरवा के खिलाफ दर्ज करवाई थी। शिकायत दर्ज करने के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर वर्षा सिंह ने डॉक्टर दिनेश बैरवा, डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा और एक अन्य डॉक्टर को शामिल कर तीन सदस्य जांच कमेटी का गठन किया।



डॉक्टर महेश बैरवा।

टीम में शामिल सदस्य द्वारा ही पीडित को धमकाए जाने की शिकायत भी सामने

■ आरोप है कि डॉक्टर महेश बैरवा को मेडिकल परिस्थितियों का हवाला देते हुए सही ठहराते हुए राहत देने की कोशिश की

■ मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल ने कमेटी की रिपोर्ट को सही मानते हुए डॉक्टर महेश बैरवा को बचाने के लिए सारे आरोपों को झुलटा दिया

आफताब मुल्तानी ने लिखित में कलेक्टर नमित मेहता, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉ. वर्षा सिंह और पीएमओ एमजी हॉस्पिटल डॉ. अरुण गौड़ को डॉक्टर महेश बैरवा के खिलाफ शिकायत देकर विभाग की नौद उड़ा दी है। जिस घूसखोर डॉक्टर को बचाने के लिए विभाग जोर लगा रहा था, उसके खिलाफ लगातार मामले सामने आ रहे हैं, लगातार घूसखोर डॉक्टर बैरवा के खिलाफ शिकायतें आने के बावजूद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के नाम का बेटा इस्तेमाल करने वाले डॉ. बैरवा ब्रदर्स के खिलाफ कार्यवाही करने से करता रहा विभाग उल्टा उन्हें बचाने में जुटा हुआ है। अब मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल वर्षा सिंह आफताब की शिकायत पर दोबारा जांच कमेटी का गठन करने की बात कर रही है।